न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

जमानत आवेदन पत्र संख्या– 213/2026
बथनाहा थाना कांड संख्या– 18/2025

मो0 इम्तियाज.....आवेदक
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

07-04-2026 अभिरक्षाधीन आवेदक/अभियुक्त मो0 इम्तियाज की ओर से बथनाहा थाना कांड संख्या 18/2025, अंतर्गत धारा 309(6) भारतीय न्याय संहिता एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दाखिल प्रस्तुत जमानत आवेदन को, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदक इस वाद में दिनांक 08.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कालानंद यादव एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचक श्यामल किशोर मिश्रा के अनुसार यह है कि वह बंधन बैंक बथनाहा में आर0ओ0 पद पर कर्यरत है। दिनांक 03.03.2025 को वह सोनापुर, रामटोला व अमौना से कलेक्शन कर कुल 1,50,000/– रूपया लेकर अपने मोटरसाईकिल से निकला कि समय लगभग दिन के 01:45 बजे श्यामनगर वार्ड नं0 15 अनन्त मंदिर से पहले कुछ दूरी पर था, तभी दो मोटरसाईकिल पर सवार तीन व्यक्ति जो हेलमेट पहने और मुंह बांधे हुए थे। तीनों व्यक्ति सूचक के साथ मारपीट किया और धक्का देकर सड़क के नीचे गढ़ा में गिरा दिया। दो व्यक्ति के पास हथियार था, जिससे दो बार फायरिंग किया, उसके बाद सूचक के मोटरसाईकिल का डिक्की तोड़कर कलेक्शन का कुल 1,50,000/– रूपया, टैब व फिंगर देने वाला मोरफो ले लिया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदक के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक के विरूद्ध 3–4 केस लंबित है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। अभियुक्तिका को गलत तरीके से इस वाद में फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूर्णतया गलत व आधारहीन है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है। आवेदक के पास से कोई वस्तु बरामद

नहीं हुई है। आवेदक को सह–अभियुक्त मो0 रहमान के संस्वीकृति बयान के आधार पर फंसाया गया है। आवेदक दिनांक 08.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक लगभग तीन माह से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त के विरूद्ध दो आपराधिक इतिहास है। प्राथमिकी अज्ञात के विरूद्ध दर्ज हुआ था। अभियुक्त का नाम सह–अभियुक्त के संस्वीकृति बयान के आधार पर आया है। केस डायरी में अभियुक्त की पहचान स्थापित नहीं है। मामले में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा आरोप पत्र भी समर्पित किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक का का जमानत आवेदन इस शर्त के साथ **स्वीकृत** किया जाता है कि वह किसी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं रहेगा, विचारण में सहयोग करेगा, आरोप गठन तक सदेह उपस्थित रहेगा एवं कम से कम एक जमानतदार उसका अपना पारिवारिक सदस्य होगा। आवेदक द्वारा मो0 10,000/– (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर एवं संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।